

दिल्ली में कश्मीरी गेस्ट हाउस का उपयोग

6717. श्री सत्य प्रकाश मालवीय: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित कश्मीरी गेस्ट हाउस कश्मीरी आतंकवादियों का शरण स्थल बन गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सभी गुप्तचर एजेंसियों की मौजूदगी के बावजूद अनेक कुख्यात कश्मीरी आतंकवादी अपनी योजनाएं बनाने के लिए यहां पर उधरते हैं और सरकारी वाहनों का भी प्रयोग करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा सरकारी वाहनों का दुरुपयोग रोकने और कश्मीरी गेस्ट हाउस को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित गांव

6718. श्री कैलाश नारायण सारंग: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत बांग्लादेश सीमा के निकट ऐसे गांवों/भूमि के टुकड़ों की संख्या कितनी है जो भारत के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं परन्तु वहां पर बांग्लादेशी रह रहे हैं और उन गांवों/भूमि के टुकड़ों की संख्या कितनी है जो बांग्लादेश के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं परन्तु वहां पर भारतीय लोग निवास कर रहे हैं;

(ख) सरकार की सूचना के अनुसार पिछले एक दशक के दौरान बांग्लादेश की सीमा से लगे क्षेत्रों में कितनी घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं की वजह से हुई जन-धन की हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं और इस समस्या का समाधान कब तक हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम०

सईद): (क) जबकि बांग्लादेश में 119 विनिमय और 11 अविनियम भारतीय इन्केलेव हैं, बांग्लादेश के 72 विनिमय और 23 अविनियम इन्केलेव भारत में हैं। बांग्लादेश द्वारा की गई 2213.45 एकड़ एडवर्स पजैसंस की तुलना में भारत के पास 2350.96 एकड़ एडवर्स पजैसंस हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30 मई, 1993 को बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा साल के वृक्षों को गिराने का सालबारी इन्केलेव के ग्रामीणों द्वारा विरोध किए जाने के फलस्वरूप 31 मई, 1993 को काजलदीधी और सालबारी के भारतीय इन्केलेवों में बांग्लादेशी नागरिकों को एक भीड़ द्वारा करीब 400-500 घरों को आग लगा दी गई थी। दो व्यक्तियों का अपहरण किया गया था।

(ग) भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, 1974 से संबद्ध लम्बित मामलों के समाधान के बारे में बांग्लादेश सरकार और भारत सरकार के बीच कई अवसरों पर चर्चा की गई है।

Maintenance of Record of Freedom Fighters for Extending Financial Assistance

6719. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government maintain any records of those valiant freedom fighters who languished in Cellular Jail in Andaman and Nicobar Islands, Fighting against the Britishers to attain our independence;

(b) if so, how many amongst them are still surviving;

(c) whether Government extend to them or to their next of Kin, any kind of assistance financial or otherwise, as a token of gratitude for the immense sacrifices they made for the nation;

(d) if not, how do Government reconcile the two diametrically opposite steps i.e. granting pension to those officers who helped the British Government to rule and not extending any assistance to those who fought against them, whose fruits of labour we

all are enjoying and who deserve them most; and

(c) what remedial steps Government now propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) to (c) According to record available with the Central Government Freedom Fighters Pension was granted to 285 ex-Andaman Political Prisoners who suffered in Cellular Jail in connection with their participation in freedom struggle. As per information available, there are at present 113 such persons still alive. The Central Government is granting Rs. 1250/- per month, to these freedom fighters as Samman Pension and their widows are granted Samman Pension at the rate of Rs. 1000/- per month. Further, the Government has also granted a Special Allowance of Rs. 250/- per month to these Freedom Fighters in addition to Samman Pension.

(d) and (c) Do not arise

लक्षद्वीप में प्रतिबन्ध

6720. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लक्षद्वीप की यात्रा पर जाने वाले भारतीय नागरिकों को स्थानीय प्रशासन द्वारा नागरिक बस्तियों में ठहराये जाने की बजाय उन्हें दूरस्थ स्थानों पर जलयानों में ठहरने के लिये बाध्य किया जाता है और क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) लक्षद्वीप की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को प्रशासन द्वारा दूर समुद्र में ठहरे जहाजों पर रुकने के लिए विवश नहीं किया जाता। तथापि, कोरल रीफ पैकेज नामक एक पैकेज के अन्तर्गत पर्यटक

संबन्धित द्वीपों में सुबह उतरते हैं और स्थलों को देखने के बाद वे उस जहाज पर सवार हो जाते हैं जो उस दिन शाम को दूसरे द्वीप की ओर रवाना हो जाता है। अतः इस पैकेज का लाभ उठाने वाले पर्यटक किसी भी द्वीप में रात भर नहीं ठहर पाते हैं। दूसरे पैकेज दूर में विभिन्न द्वीपों में ठहरने का प्रावधान है।

इस बारे में एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था तथापि ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति को देखते हुए आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

Promulgation of Ordinance by Governors

6721. **SHRI V. RAJESHWAR RAO:**
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA
JICHKAR:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of cases pending for prior permission/approval of the President for the promulgation of Ordinances by Governors of States;

(b) the States which have sought such approval and the salient features of the said ordinances; and

(c) the reasons for the delay in Granting approval?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) and (b) A Statement is placed on the Table of the House (See Below)

(c) The State Legislatures call for examination by the concerned Departments/Ministries of the Government of India and consultation with State Governments wherever found necessary. The concerned State Governments and the Central Ministries/Departments are reminded constantly to expedite their views in the matters. Discussions are also held where necessary, to expedite the clearance of the Ordinances.